भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 154

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ,1947 (शक) को दिया जाना है।)

देश में प्रति व्यक्ति आय

†154. **श्री गिरिधारी यादव**:
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वित्त वर्ष में देश में प्रति व्यक्ति आय 1,14,710/- रुपये आंकी गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रति व्यक्ति आय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दस वर्ष पहले देश में प्रति व्यक्ति आय 68,572/- रुपये थी;

(घ) क्या सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में समान वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) ₹1,14,710 है। दस वर्ष पूर्व, अर्थात् वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय ₹72,805 थी।

(ख), (घ) और (ङ): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रकाशित स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) अनुलग्नक-I में दिया गया है। आँकड़ों के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग है।
(च): राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि में अंतर, जैसे आर्थिक विकास के विभिन्न स्तर, क्षेत्रीय संरचना, संरचनात्मक असमानताएँ और शासन तंत्र में अंतर आदि कई कारकों के कारण हो सकता है। सरकार समावेशी विकास के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है, जो सबका साथ, सबका विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है, और सरकार ने गरीबी तथा असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, आय सृजन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने तथा देश भर में कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कई लक्षित योजनाएँ शुरू की हैं।

स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

क्र.सं.	राज्य\संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2013-14 (₹ में)	वर्ष 2014-15 (₹ में)	वर्ष 2023-24 (₹ में)	वर्ष 2024 25 (₹ में)	वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2023-2024 में अंतर (% में)	वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2024-25 में अंतर (% में)
1	आंध्र प्रदेश	72254	79174	131083	141609	81.4	78.9
2	अरुणाचल प्रदेश	79004	91034	111107	उपलब्ध नहीं	40.6	
3	असम	43002	44809	75938	81127	76.6	81.1
4	बिहार	22776	23223	32227	उपलब्ध नहीं	41.5	
5	छत्तीसगढ	61409	61122	87681	93161	42.8	52.4
6	गोवा	188358	241081	357611	उपलब्ध नहीं	89.9	
7	गुजरात	102589	111370	195617	उपलब्ध नहीं	90.7	
8	हरियाणा	119791	125032	182816	194285	52.6	55.4
9	हिमाचल प्रदेश	98816	105241	154330	163465	56.2	55.3
10	झारखंड	43779	48781	65062	उपलब्ध नहीं	48.6	
11	कर्नाटक	101858	105697	191970	204605	88.5	93.6
12	केरल	107846	112444	162040	उपलब्ध नहीं	50.3	
13	मध्य प्रदेश	42548	44027	67301	70434	58.2	60.0
14	महाराष्ट्र	109597	115058	166013	176678	51.5	53.6
15	मणिपुर	41441	44101	65471	उपलब्ध नहीं	58.0	
16	मेघालय	59729	57478	74489	77412	24.7	34.7
17	मिजोरम	67594	85056	152363	उपलब्ध नहीं	125.4	
18	नागालैंड	58619	60372	81158	उपलब्ध नहीं	38.4	
19	ओडिशा	54209	54361	99396	106918	83.4	96.7
20	पंजाब	93238	95807	129561	135356	39.0	41.3
21	राजस्थान	61053	64496	90414	96638	48.1	49.8
22	सिक्किम	168897	180675	292339	उपलब्ध नहीं	73.1	
23	तमिलनाडु	102191	107117	179732	196309	75.9	83.3
24	तेलंगाना	96039	101424	177000	187912	84.3	85.3

25	त्रिपुरा	54645	63992	97250	उपलब्ध नहीं	78.0	
26	उत्तर प्रदेश	34044	34583	50341	उपलब्ध नहीं	47.9	
27	उत्तराखंड	112900	118979	150931	158819	33.7	33.5
28	पश्चिम बंगाल	53811	54520	77933	82781	44.8	51.8
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	98735	106711	177335	उपलब्ध नहीं	79.6	
30	चंडीगढ़	180615	182867	256912	उपलब्ध नहीं	42.2	
31	दिल्ली	200702	213669	271490	उपलब्ध नहीं	35.3	
32	जम्मू और कश्मीर- संघ राज्य क्षेत्र*	54783	51649	76653	81774	39.9	58.3
33	लद्दाख						
34	पुदुचेरी	129127	117102	145921	155533	13.0	32.8

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय लद्दाख द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है तथा इसे "एनआर" माना जा सकता है। * वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए, जानकारी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से संबंधित है और वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। एनए: उपलब्ध नहीं।

****